संख्या-86/2019/2481/71-1-2019-जी-133/2018टी0सी0-4

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 अक्टूबर, 2019

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेजों में शव वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/344, दिनॉक 21-08-2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में शव वाहन का क्रय हेतु मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरणानुसार निर्गत किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	शव वाहन की मात्रा	अनुमानित धनराशि	कुल धनराशि
1	मेडिकल कालेज, कानपुर	01	12,00,000.00	12,00,000.00
2	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	01	12,00,000.00	12,00,000.00
3	मेडिकल कालेज, मेरठ	01	12,00,000.00	12,00,000.00
4	मेडिकल कालेज, आगरा	01	12,00,000.00	12,00,000.00
5	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	01	12,00,000.00	12,00,000.00
	योग-	05	60,00,000.00	60,00,000.00

2- उक्त धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- मोटर गाड़ी के क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- शव वाहन का क्रय वर्तमान में लागू डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के जेम पोर्टल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनॉक 22.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-23-राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में शव वाहन का क्रय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1332/दस-2019, दिनॉक 11 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

संख्या-86/2019/2481(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल। आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।